# फर्द अहकाम

(नियम 28)

## अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी मुकाम –जहाजपुर (भीलवाड़ा)

कैलाश पिता बरदा धाकड नि. रतनपुरा वगैरा

बनाम

कैलाश पिता चन्दा धाकड नि. रतनपुरा वगैरा

किस्म मुकदमा प्रा0 पत्र 111, 128 एल. आर. ए.     मुकदमा नं. 169/2022

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज | नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुवे |
|---|---|---|
| 15 03.22 | प्रार्थना पत्र सिने से बाद जॉच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम धानिरडा प. ह. मनोहरपुरा तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 1/15, 7/1, 7/6, 8/1 कुल किता 4 रकबा 1.2636 हैक्टेयर स्थित है। उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडौसी अप्रार्थीगण है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।<br>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 तक के अवलोकन से पत्थरगढी किये जाने वाली भूमि प्रार्थी के स्वामित्व की हैं। पडोसियान के विवाद करने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।<br>अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि ग्राम धानिरडा प. ह. मनोहरपुरा तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 1/15, 7/1, 7/6, 8/1 कुल किता 4 रकबा 1.2636 हैक्टेयर की बसाम्तात पडोसियान के पत्थरगढी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक अमरगढ़ को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 500– रू. तय किये जाते है। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रू. राजकोष में जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करे।<br>आदेश आज दिनांक .03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।<br><br>उपखण्ड अधिकारी,<br>जहाजपुर(भीलवाड़ा) | |

Scanned with CamScanner